FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा मुकाम दौसा

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] 53,188 नं. 208 सन 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुयें
22-3-21	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी बयान मुताबिक [illegible] के [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी दौसा (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(10)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :–	संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
दावा संख्या :–	208 / 2015
दायर दिनाकं :–	11.12.2015
निर्णय दिनांक :–	22.03.2021

उनवान

राजेश मेंहदीरत्ता पुत्र श्री रामकिशन मेंहदीरत्ता जाति पंजाबी निवासी 227 व्यास मार्ग, गली नं0 5 राजा पार्क जयपुर।

(वादी)

बनाम

1 रामफूल पुत्र रामरतन जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा
2 पाचूं राम पुत्र रामरतन जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा
3 शिम्भूदयाल पुत्र रामरतन जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा
4 चौथ्या पुत्र रामरतन जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति :– 1 श्री वरूण नागर अधिवक्ता वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(11)

दावा तकास्मा एवं स्थाईनिषेधाज्ञा

उक्त वाद में संक्षित वृतान्त इस प्रकार है, कि ग्राम भण्डाना तहसील दौसा मे स्थित ख0 नं0 523 रकबा 0.41 है0 भूमि में वादी 24/41 हिस्से का खातेदार है, तथा 17/41 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 है। उक्त वादग्रस्त भूमि की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने–अपने हिस्से अनुसार उभयपक्षकार काबिज काश्त है। दिनांक 27.11.2015 को वादी के कब्जे काश्त की भूमि मे प्रतिवादीगण के द्वारा जबरन निर्माण कार्य करने की धमकी देने पर वादी के द्वारा उक्त वाद इस न्यायालय में पेंश किया गया है। उक्त वाद पेंश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस से की जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से श्री योगेश जाकड ऐडवोकेट ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 14.12.2016 को प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा पेश किया गया तथा तनकीयात कायम की जाकर वादी की साक्ष्य ली गई। दिनांक 25.03.2019 को प्रदर्श कायम किये गये। प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया तथा दिनांक 03.09.2019 वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। कुर्रेजात हेतु तहसीलदार दौसा को इस न्यायालय के पत्र क्रमाक: कोर्ट/2019/2005 दिनांक 27.09.2019 को तहरीर जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(12)

तहसीलदार दौसा से कुर्रेजात रिपोर्ट उनके पत्रांकः भू0 अ0 /19/20717 दिनांक 13.12.2019 के द्वारा इस न्यायालय में प्राप्त हाने पर शामिल पत्रावली की जाकर प्रकरण को कुर्रेजात की वहस पर नियत किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी के द्वारा प्राप्त कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने मुताविक कुर्रेजात के अन्तिम डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड तथा कुर्रेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुतावित कुर्रेजात के स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का निम्नानुसार अलग–अलग खाता कायम किया जावे।

<u>वादी :–</u> राजेश मेंहदीरत्ता पुत्र श्री रामकिशन मेंहदीरत्ता कौम पंजावी निवासी 227 व्यास मार्ग, गली नं0 5 राजा पार्क जयपुर के हिस्से में नक्शे में नीले रंग से दर्शित भूमी ख0 न0 523 मी0 रकबा 0.24 है0 भूमि रहेगी।

<u>प्रतिवादीगणः–</u> रामफूल, पांचूराम, शिम्भूदयाल, चौथ्या पुत्रान रामरतन, कौम माली साकिन देह खातेदार के हिस्से में नक्शे में लाल रंग से दर्शित भूमि खसरा न0 523/1 रकबा 0.17 है0 भूमि रहेगी। रामफूल पुत्र रामरतन का हिस्सा 1/4 राहिन BOB शाखा भण्डाना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:31 IST
Reason: SelfAttested

उप ... दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner

कुर्रेजात निर्णय का भाग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:27:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner